

**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू**

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 11/2021

रामसिंह पुत्र श्री मोहनलाल, गांव इण्डाली, तहसील व जिला झुंझुनू, मो0न0 9460621240

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

**आदेश**

दिनांक 15.02.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.01.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 11/2021 पर दिनांक 22.01.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/165-166 दिनांक 22.01.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू ने पत्रांक न्याय/2021/141-142 दिनांक 04.01.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी रामसिंह पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी इण्डाली, तहसील व जिला झुंझुनू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना जमाबन्दी व नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 137 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू के न्याय/2021/141-142 दिनांक 04.01.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी रामसिंह पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी इण्डाली, तहसील व जिला झुंझुनू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना जमाबन्दी व नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 137 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )

जिला कलक्टर झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू